न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 65/ 2017 जिला दौसा

अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम दत्तक पुत्र ठण्ड्या व रतनी, जाति मीना, निवासी कोठीन, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बैजूपाडा जरिये सरपंच, ग्रम पंचायत बैजूपाडा ।
2. दुर्जन पुत्र रामहेत, जाति मीना, निवासी कोठीन ,तहसील बसवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध

आज्ञा उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 16.11.2012

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सतीश पारीक
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री चन्द्रशेखर दाधीच

निर्णय

दिनांक– 12.3.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 16.11.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम कोठीन, तहसील बसवा, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा किता 22 रकबा 4.50 की खातेदार रतनी बेवा ठण्ड्या हिस्सा 1/2 जाति मीना थी । खातेदार रतनी बेवा ठण्ड्या के लाऔलाद फौत होने से उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 79 पटवारी हल्का द्वारा मृतका रतनी के पति ठण्ड्या के भाई यानी रतनी के देवर दुर्जन पुत्र रामहेत के नाम भरा गया , लेकिन ग्रम पंचायत बैजूपाडा ने दिनांक 20.2.2004 को नामांतरकरण की पुश्त पर यह अंकित करते हुये अशोक कुमार दत्तक पुत्र रतनी के नाम स्वीकार कर दिया – " आज दिनांक 20.2.2004 को नामांतरकरण कौरम में पेश हुआ । ग्रम सभा के निर्णय दिनांक 26.1.2004 एवं पत्रावली संख्या 4 दिनांक 21.8.2003 के निर्णय अनुसार मृतका रतनी बेवा ठण्डी मीना की विरासत का नामांतरकरण जो दुर्जन पुत्र रामहेत के नाम पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर रखा है को निरस्त कर नामांतरकरण श्री अशोक कुमार दत्तक पुत्र रतनी के नाम स्वीकार किया जाता है क्योंकि रतनी ने अपने जीवनकाल में ही लोकरीति एवं नोटेरी से प्रमाणित वसीयतनामा दिनांक

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

11.6.2003 के अनुसार उक्त अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम को दत्तक एवं गौद ले लिया था । अतः सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है कि मृतका रतनी बेवा ठण्डी मीना के बजाय अशोक कुमार दत्तक पुत्र रतनी के नाम नामांतरकरण स्वीकार है "।

उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतका रतनी बेवा ठण्डी के देवर द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई , जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत की , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2012 पारित किया कि "ग्रम पंचायत से नामांतरकरण से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया परन्तु रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिसके अभाव में पूर्व के नामांतरकरण की पुष्टि नहीं होती है । वर्तमान सरपंच द्वारा वारिस प्रमाण पत्र बिना कौरम का प्रस्तुत किया है जिसमें मृतका रतनी का वारिस दुर्जन पुत्र रामहेत को माना है । ऐसी स्थिति में हल्का पटवारी द्वारा खोला गया नामांतरकरण तथा सरपंच द्वारा फैसल किये गये की पुष्टि नहीं होती है । इस स्थिति में नामांतरकरण अस्वीकार किये जाने योग्य है । अतः आदेश है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 20.2.2004 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार बसवा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नामांतरकरण की उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित कर नामांतरकरण खोला जावे "।

उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 16.11.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 16.11.2012 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये व अपीलान्ट के वकील बदलने तथा बहस हेतु अवसर चाहने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर उनकी बहस सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 दुर्जन की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय करना चाहिये यदि विलम्ब का कारण संतोषजनक हो तो विलम्ब क्षमा कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये अन्यथा विलम्ब के आधार पर ही प्रकरण खारिज करना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को तय किये बिना ही गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । विवादित

भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॉच कराये बिना ही एकपक्षिय आधार पर निर्णय पारित किया है , जो न्यायिक नहीं है । उनका यह भी कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्रम पंचायत से रिकार्ड के अभाव में ही एवं ग्रम पंचायत से नामांतरकरण संबंधी अभिलेख तलब किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो सर्वथा विधिविरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार रामहेत के दो पुत्र ठण्ड्या व दुर्जन थे जिनमें ठण्ड्या के फौत होने पर उसकी विरासत ठण्ड्या की विधवा एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की भाभी रतनी के नाम आई ओर रतनी के फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में रतनी बेवा ठण्ड्या के देवर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 दुर्जन के नाम भरा गया , जिसे ग्रम पंचायत बैजूपाडा द्वारा मनमाने तरीके से दुर्जन को जान बूझकर नुकसान पहुॅचाने की बदनियति से व फर्जी तथा कूटरचित लिखावत को आधार बनाकर अपीलान्ट अशोक कुमार दत्तक पुत्र रतनी के नाम स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व ग्रम पंचायत द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 दुर्जन को बिना तलब किये व बिना सुने पारित किये जाने से प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान उसे दिनांक 1.5.2004 को होने पर नकल लेकर प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी । उनका कहना था कि विवादित भूमि की खातेदार मृतका रतनी एवं उसके पति ठण्ड्या की सेवा सुश्रुषा एवं समस्त क्रियाकर्म दस्तूर पगडी पिण्डदान इत्यादि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के पौत्र मुकेश द्वारा किये गये थे । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 दुर्जन विधि के प्रावधानों के अनुसार अपने भाई की भूमि में हक प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है जिसे ग्रम पंचायत द्वारा नकारते हुये फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट अशोक कुमार को मृतका रतनी का दत्तक पुत्र मानते हुये उसके नाम प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण में भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 दुर्जन को ही मृतका रतनी का जायज वारिस माना है । अधीनस्थ न्यायालय ने ग्रम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र को ही आधार मानकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2012 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 दुर्जन की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 20.2.2004 निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार बसवा को उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई की जाकर नामांतरकरण निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है एवं अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जावे । अपने कथन की पुष्टि में 2016 (1) आर.आर.टी. पेज 207 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार रतनी बेवा ठण्ड्या की विरासत के नामांतरकरण का है । पटवारी हल्का द्वारा मृतक रतनी की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 दुर्जन जो मृतक रतनी का देवर है, के नाम भरा गया , जिसे ग्रम पंचायत द्वारा खारिज करते हुये अशोक कुमार दत्तक पुत्र रतनी के नाम दिनांक 20.2.2004 को तस्दीक कर दिया । प्रश्नगत नामांतरकरण की रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 दुर्जन की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2012 द्वारा ग्रम पंचायत से नामांतरकरण से संबंधित रिकार्ड तलब करने पर भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं होने के अभाव में पूर्व के नामांतरकरण की पुष्टि नहीं नहीं होना मानते हुये वर्तमान सरपंच द्वारा वारिस प्रमाण पत्र बिना कौरम का प्रस्तुत किये जाने जिसमें मृतका रतनी का वारिस दुर्जन पुत्र रामहेत को माना है ऐसी स्थिति में हल्का पटवारी द्वारा खोला गया नामांतरकरण तथा सरपंच द्वारा फैसल किये गये की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में नामांतरकरण अस्वीकार किये जाने योग्य मानते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 20.2.2004 खारिज किया है तथा प्रकरण तहसीलदार बसवा को भेजकर निर्देशित किया गया कि नामांतरकरण की उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित कर नामांतरकरण खोला जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि की खातेदार मृतका रतनी पत्नि ठण्ड्या थी जिसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण पटवारी द्वारा मृतका रतनी के देवर दुर्जन के नाम भरा गया, लेकिन ग्रम पंचायत द्वारा दुर्जन को बिना सुने अपीलान्ट अशोक के नाम स्वीकार किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 दुर्जन मृतका खातेदार रतनी का देवर होने से उसका विधिक वारिस एवं हितबद्ध व्यक्ति है जिसे बिना सुने उसके अधिकारों के विपरीत तस्दीक नामांतरकरण को विधिसम्यक नहीं ठहराया जा सकता । सरपंच, ग्रम पंचायत बैजूपाडा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में भी खातेदार मृतका रतनी का वारिस दुर्जन पुत्र रामहेत होना अंकित किया है । ऐसी स्थिति में ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण बिना हितबद्ध व्यक्ति को सुने तस्दीक किया है , जो उचित एवं विधिक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई ने भी अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 दुर्जन की अपील आंशिक रूप से स्पीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 20. 2.2004 खारिज करतेहुये प्रकरण तहसीलदार बसवा को उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई की जाकर नामांतरकरण खोले जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बसवा

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के निर्णय दिनांक 16.11.2012 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हम उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर